			of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay/Pay Scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that Grade Pay Scale is the normal replacement grade without any up-gradation. Note : 5 Absorption :- UDCs working on deputation basis may also be considered for absorption after completion of successful two years of service in the Zonal Council Secretariat subject to No Objection Certificate from the Cadre Authority or the parent office concerned .		

[F. No. 25/03/2014-ZCS]
L.R. GUPTA, Dy. Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2016

सा.का.नि. 44 —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (सतर्कता सहायक) भर्ती नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (सतर्कता सहायक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग (सतर्कता सहायक) भर्ती नियम, 1999 में -

(i) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- " 2 पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं; "

(ii) नियम 3 में "स्तंभ 5 से स्तंभ 14" शब्द और अंक के स्थान पर "स्तंभ 5 से स्तंभ 13" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(iii) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
सतर्कता सहायक	2*(2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैड-2 (9300-34800 रु.) + और ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	सशस्त्र बल के पुनर्नियोजित कार्मिक के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
10	11
प्रतिनियुक्ति सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1 (5200-20200 रू.)+ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में 6 वर्ष सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.)+ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में 10 वर्ष सेवा की है ; और (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य रखते हों। (ii) जिन्हें सरकारी कर्मचारियों की बाबत सतर्कता या अनुशासनिक मामलों संबंधी कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव है और जिन्होंने केन्द्रीय सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान से प्रशासनिक सतर्कता प्रशिक्षण या किसी भी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से ऐसा तुलनीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए) : सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए कनिष्ठ कमीशन अधिकारी या समतुल्य रैंक के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति व्यक्ति के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पद पर बने रहने दिया जा सकता है यदि वास्तविक चयन होने से पहले सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक सेवानिवृत्त हो

	जाते हैं या रिजर्व में स्थानांतरित हो जाते हैं यदि ऐसे अधिकारियों का चयन कर लिया जाता है तो उन्हें पुनर्नियोजन के आधार पर नियुक्त किया जाएगा (सिविल पद के प्रति निर्देश अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन) टिप्पण – 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण – 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए 01 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए उस दशा के जहां एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रति स्थापन ग्रेड है।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (सशस्त्र बल के पुनर्नियोजित कार्मिकों की पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी : 1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. अपर सचिव (प्रशासन नियुक्ति साधारण सेवाएं और भर्ती नियम) संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य 3. संयुक्त सचिव (भर्ती) या संयुक्त सचिव (परीक्षा) संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य	जब प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन के लिए चयन क्षेत्र में अन्य के साथ सशस्त्र बल के कार्मिक हों तब संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 39021/5/2012-स्था. (ख)]

मनीषा भटनागर, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, सा.का.नि. 422, तारीख 25 दिसम्बर, 1999 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. सा.का.नि. 457, तारीख 25 अगस्त, 2001 और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 209, तारीख 24 मई, 2003 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 8th March, 2016

G.S.R. 44— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Union Public Service Commission (Vigilance Assistant) Recruitment Rules, 1999, namely:-

1. **Short title and commencement:** (1) These rules may be called the Union Public Service Commission (Vigilance Assistant) Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission (Vigilance Assistant) Recruitment Rules, 1999, -

(i) for rule 2, the following shall be substituted, namely:-

"2. Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.- The number of post, classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules ";

(ii) in rule 3, for the words and figures "columns 5 to 14", the words and figures "columns 5 to 13" shall be substituted;

(iii) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Vigilance Assistant	02* (2016) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) plus Grade Pay Rs. 4200	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
7	8	9
Not applicable	Not applicable	Two years for Armed Forces Personnel re-employed.

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.
10	11
Deputation For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment.	**Deputation :** Officers under the Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-1(Rs.5200-20200) plus Grade Pay of Rs. 2800 or equivalent; or

	(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-1 (Rs.5200-20200) plus Grade Pay of Rs. 2400 or equivalent; and b) (i) Possessing a degree in law from a recognised University or equivalent; or (ii) Possessing two years' experience of dealing with vigilance or disciplinary matters in respect of government employees and having completed successfully the Administrative Vigilance Training of the Institute of Secretariat Training and Management or a comparable training in any other recognised Institution. Deputation or re-employment (for Armed Forces personnel): The Armed Forces Personnel of the rank of Junior Commissioned Officer or equivalent, who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter, they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis (re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts). **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
12	13
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation for re-employed Armed Forces Personnel) consisting of:- 1. Secretary, Union Public Service Commission - Chairman 2. Additional Secretary (Administration, Appointment - Member General, Services and Recruitment Rules), Union Public Service Commission 3. Joint Secretary (Recruitment) or Joint Secretary - Member (Examination), Union Public Service Commission	Consultation with Union Public Service Commission is necessary when an Armed Forces Personnel among others is in the field of selection for deputation or re-employment.

[F.No. 39021/5/2012-Estt.(B)]
MANISHA BHATNAGAR, Under Secy.

Foot Note: The Principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 422, dated 25th December, 1999 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 457, dated the 25th August, 2001 and vide notification number G.S.R. 209, dated the 24th May 2003.